नय उपखण्ड.................................कठूमर जिला अलवर

तारीख हुक्म........1/54/18

तारीख रजू..............................

~~प्रकाश चन्द वगैरा~~ बनाम ~~सुरेश वगैरा~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/5/18	वकील वादी उपस्थित। पट दावा वादी के वकील ने पेश किया। उर्फ पंजिका हो। प्रतिवादीगण जरिये समन तलब हो। पत्रावली दिनांक 27.6.18 को पेश हो। [signature] SDO/C	1358 / 28-5-18
6-8-18	मुल्तवी फेरीफेल उप०/P.O. साहब ...UT. .... पत्रावली दिनांक 15-10-18 को पेश हो। [signature]	
15/10/18	वकील वादी.................उपस्थित स्थगित आदेश दिनांक ~~आर्ड~~ 27-6-18 की पालना में पत्रावली रखी ...... जाना तलबी दिनांक 17/12/18.........को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
17/12/18	[illegible] ... दिनांक 25/3/19 को पेश हो। [signature] उप जिला कलेक्टर कठूमर (अलवर)	
25/3/19	मुल्तवी फेरीफेल उप०/P.O. साहब चुनाव प्रशि. सामि. पत्रावली दिनांक 13/5/19 को पेश हो। [signature]	

तारीख व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/5/22	पत्रावली पेश, पुकार कराई वकील अप्रार्थी प्रतिवादी नं. 1, 7 की ओर से श्री घनश्याम शर्मा एडवोकेट वकालतनामा पेश किया जवाब को समय चाहा गया। प्रतिवादी नं. 2 से 6 तामील रजिस्टर्ड ... नहीं उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 9/6/22 को पेश हो। [signature]	
9/6/22	पीठासीन .... अनुपस्थित ... दिनांक .... पत्रावली वास्ते .... जवाब दिनांक 14/6/22 .... को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
13/6/22	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित रख रखा है। P.O. साहब अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 24/6/22 को पेश हो। [signature]	प्रति नं. 1, 7 जवाब पेश नहीं करना चाहते [signature]
24/6/22	वकील अप्रार्थी प्रतिवादी नं. 1, 7 की ओर से जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं उनका जवाब बन्द किया जाता है व वादी की ओर से PW-1 नरेश कुमार व PW-2 महेश व PW-3 अशोक कुमार की ओर से बयान तैयार कराये गये। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 30/6/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
30/6/22	वकील उभय पत्रावली पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 15/7/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
15/7/22	पत्रावली पेश, पक्ष पुकार वकील उभय आये। दावा वादीगण डिक्री किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील
	प्रतिवादीगण को आपत्ति निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त [illegible] में वर्णित कि उपरोक्त हिस्सा के अनुसार कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जबरन बेदखल ना करें खुद कब्जा ना करें। (हिस्सा [illegible] का [illegible]) तहसीलदार [illegible] को आदेश दी की वो राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज करें तदनुसार पक्की डिक्री जारी हो। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर तकमील जिला अभिलेखागार में जमा हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्ववाद संख्या 1/54/2018

वउनवान

1. प्रकाशचन्द पुत्र सुरेश पोत्र नहनजी जाति ब्राहमण
2. अशोक पुत्र सुरेश पोत्र नहनजी जाति ब्राहमण
   निवासी सुण्डियानातहसील कठूमर जिला अलवर

वादीगण

बनाम

1. सुरेश पुत्र नहनजी जाति ब्राहमण निवासी सुण्डियाना
2. मुरारीलाल पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी भण्डोर खुर्द जिला भरतपुर।
3. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर
4. अनीता पत्नी मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी भाण्डोर खुर्द
5. कलावती पत्नी भीमसिंह जाति माली निवासी सुण्डियाना
6. कलादेवी पत्नी रतनलाल जाति माली निवासी सुण्डियाना तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रतिवादीगण

7. महेश पुत्र नहनजी जाति ब्राहम्ण निवासी सुण्डियाना तह0 कठूमर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :– श्री रामजीलाल शर्मा

श्री मानसिंह चौधरी – अधिवक्तागण वादीगण

श्री धनश्याम शर्मा– अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1,7

निर्णय

दिनांक 15.07.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित वाद घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 136

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

रकवा 0.66 हे. 197 रकवा 0.70 हे. 811 रकवा 0.70 हे. 919 रकवा 1.06 हे. किता 4 रकवा 3.12 हे. ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर में स्थित है। वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 व तरतीवी प्रतिवादीगण 7 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। नहनजी वादीगण के दादा व प्रतिवादी सं0 1 सुरेश वादीगण के पिता है। उपरोक्त विवादित आराजी वादीगण के दादा नहनजी की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है जिसमें वादीगण को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक व अधिकार पैदा हो चुके है। विवादित आराजी वादीगण के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के 1/6 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी के 1/2 हिस्सा की पैत्रिक विरासत से प्राप्त आराजी है। वादीगण विवादित आराजी में अपने 1/3 हिस्से पर काविज रहरक काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पैत्रिक विरासत से प्राप्त है। जिसमें वादीगण को जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त है। कानूनन दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पोत्रों को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक व अधिकार पैदा हो जाते है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 से अपने हिस्सा की आराजी को अपने नाम कराने वावत कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने साफ इन्कार कर दिया। अतः वादीगण विवादित आराजी में अपने 1/3 हिस्सा की आराजी अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 2 प्रतिवादी सं0 1 का दामाद लगता है। प्रतिवादी सं0 2 ने प्रतिवादी सं0 1 को बहला फुसलाकर व विना जरे बय विना कब्जा लिये दिये ही खसरा नम्बर 136–811 के 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड वयनामा क्रमांक 2016001142 दिनांक 26.05.2016 को विना विधिक आवश्यकता के प्रतिवादी सं0 2 के हक में करा लिया। जिस वयनामा के आधार पर इन्तकाल सं0 1865 प्रतिवादी सं0 2 ने विना कब्जा के अपने नाम स्वीकार करा लिया जवकि प्रतिवादी सं0 2 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। जिस नुमाइसी वयनामा वउसके आधार पर दर्ज व स्वीकार इन्तकाल संख्या 1865 को वादीगण नल एण्ड बॉयड व शून्य करार दिलाने के अधिकारी है। दौराने दावा प्रतिवादी सं0 2 ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा को अनीता पत्नी मुरारीलाल के हक में दान द्वारा दिनांक 23.11.2020 को सव रजिस्ट्रार कठूमर के कार्यालय में रजिस्टर्ड करा दिया। जिस दान पत्र के आधार पर अनीता ने अपने हक में अपने नाम इन्तकाल संख्या 2180 स्वीकार करा लिया। उक्त दान पत्र व उसके आधार पर स्वीकार इन्तकाल

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

... प्रतिवादी सं0 1–2 का ...

को वादीगण नल एण्ड बॉयड करार दिलाने के अधिकारी है। इसके वाद अनीता पत्नी मुरारी ने आराजी खसरा नम्बर 136 के 1/2 हिस्सा का वयनामा दौराने दावा गैरकानूनी ढंग से केता कलावती पत्नी भीमसिंह के हक में उप पंजीयक कठूमर के कार्यालय में दिनांक 23.06.2021 को रजिस्टर्ड करा दिया। उक्त वयनामा वादीगण के हक हकूकों के मुकावले नल एण्ड बॉयड शून्य व प्रभावहीन करार दिया जावे। कलादेवी व कलावती को पाबन्द किया जावे कि वो खसरा नम्बर 136 में वादीगण के हिस्सा के अनुसार कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें तथा वयनामा दिनांक 23.06.2021 के आधार पर अपने नाम इन्तकाल दर्ज व स्वीकार ना करावे। प्रतिवादीगण आपस में मिले हुये है।प्रतिवादी सं0 2 ने प्रतिवादी सं0 1 को बहला फुसला रखा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को खुले आम धमकी दी है कि मैंने खसरा नम्बर 136–811 के 1/2 हिस्सा का वयनामा अपने नाम करा लिया है इन्तकाल भी स्वीकार करा लिया है। अव मैं उक्त आराजी पर कब्जा लूँगा। तुम्हें तुम्हारे हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दूँगा तथा खसरा नम्बर 197–919 को भी दीगर लोगों को रहन वय कर दूँगा। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। जवकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो वादीगण तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे वादीगण को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः वादीगण ने मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।प्रतिवादी सं0 2 ला0 6 बाबजूद तामील उपस्थित नही आये उनके विरूद्व 12.05.2022 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी सं0 1 व 7 जवाव दावा पेश नहीं करना चाहते।प्रतिवादी संख्या 1व 7 जवाव दावा पेश नही कराना चहाता है।वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2074 प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत् 2050 प्रदर्श–3 नकल वयनामाप्रदर्श–4 नकल वयनामापेश किये है। वादी ने अपने दावा के समर्थन मे पी डबलू –1 अशोक कुमार पी डबलू–2 महेश एवं पी डलबू–3 नरेश के बयान दर्ज कराये जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व गवाहान के वयानों के शपथ पत्रों का अवलोकन किया।विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षिय वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस में कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक है जिसमें वादीगण को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है। लेकिन दौराने दावा वयनामा कराये है जो नुमाइसी है जिनके आधार पर दर्ज व स्वीकार इन्तकाल निरस्त किये जावे। अतः विवादित आराजी पैत्रिक होने से वादीगण विवादित आराजी से प्रतिवादी सं0 1–2 का नाम कलमजन कराकर 1/3 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है। अतः वाद वाद पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहान के शपथ पत्रों से प्रमाणित है अतः वाद वादीगण मुताविक अनुतोश डिक्री कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाह के वयानों का अवलोकन किया।प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत्2050 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 136, 197, 811, 919 नहने लाल पुत्र श्रवण की खातेदारी में दर्ज है। दावा के पैरा सं0 3 में वर्णित सजरा के अवलोकन से नहनजी वादीगण के दादा है। जिस सजरा का किसी पक्षकार ने कोई खण्डन नहीं किया है। इससे सावित है कि विवादित आराजी वादीगण के दादा नहनेलाल पुत्र श्रवण की खातेदारी में दर्ज है। कानूनन दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पोत्रों का अधिकार होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–3 वयनामा है जिसके अवलोकन से यह स्पश्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 136, 811 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सुण्डियाना का रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादी सं0 2 मुरारीलाल के हक में कराया है जिस वयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 1865 केता मुरारीलाल के नाम स्वीकार किया गया है। जिस मुरारीलाल ने उक्त खातेदारी के आधार पर उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र अपनी पत्नी अनीता पत्नी मुरारीलाल को कराया है जिस दान पत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 2180 दानगृहिता अनीता के हक में स्वीकार हुआ है। प्रदर्श–4 वयनामा के मुताविक अनीता ने आराजी खसरा नम्बर 136 वाके ग्राम सुण्डियाना का 1/2 हिस्सा रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 23.06.2021 को केतागण कलावती कलादेवी के हक में किया है जिस रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 2227 स्वीकार किया गया है। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्रतिवादी सं0 2 के हक में कराया गया रजिस्टर्ड वयनामा व प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवादनी सं0 4 के हक में कराया रजिस्टर्ड दान पत्र व अनीता द्वारा खसरा नम्बर 136 का प्रतिवादनी सं0 5–6 के हक में कराया गया बयनामा गैरकानूनी है क्योंकि उकत आराजी पैत्रिक है प्रतिवादी सं0 1 द्वारा किया गया वेचान हिस्सा से अधिक है अतः रजिस्टर्ड दस्तावेजात व इनके आधार पर स्वीकार इन्तकाल को नल एण्ड बॉयड तथा शून्य करार दिया जावे। जहां तक विवादित आराजी का पैत्रिक होने का प्रश्न है विवादित आराजी जमाबन्दी संवत् 2050 में प्रतिवादी सं0 1 के पिता नहने की खातेदारी में दर्ज है। मुताविक सजरा वादीगण नहने वादीगण का दादा व प्रतिवादी सं0 1 वादीगण का पिता है। विवादित आराजी पैत्रिक होना प्रमाणित है जिस कारण प्रतिवादी सं0 1 को विवादित आराजी को वेचने का अधिकार नहीं था। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के हक में कराया गया रजिस्टर्ड वयनामा व प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवादनी सं0 4 के हक में कराया गया रजिस्टर्ड दान पत्र तथा प्रतिवादनी सं0 4 द्वारा प्रतिवादनी संख्या 5–6 के हक में कराया गया रजिस्टर्ड वयनामा गैरकानूनी प्रतीत होते है। जहां तक विवादित आराजी पर कब्जे का प्रश्न है। प्रतिवादी सं0 1 व 7 ने हाजिर अदालत होकर अपनी ओर से कोई जवाव दावा पेश नही किया और ना ही वादीगण के दावा के तथ्यों का विरोध किया तथा प्रतिवादी सं0 2 ला0 6 बाबजूद तामील उपस्थित नही आये उनकी एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इससे सावित है कि प्रतिवादीगण की भी वादीगण के तथ्यों के वारे में मौन स्वीकृति है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाहान के वयानों के अवलोकन करने तथा विद्वान अधिवक्ता वादीगण की वहस पर मनन करने पर रजिस्टर्ड वयनामा किता दो व रजिस्टर्ड दान पत्र व इनके आधार पर दर्ज व स्वीकृत इन्तकाल वादीगण के हिस्से तक नल एण्ड बॉयड तथा शून्य करार दिये जाने योग्य पाये जाते है तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाहान के वयानों से विवादित आराजी खसरा नम्बर 136, 197, 811, 919किता 4 रकवा 3.12 हे. वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर का प्रतिवादी सं0 1 के 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोशित किये योग्य पाये जाते है तथा उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राज को वादीगण के हिस्से तक कलमजन

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादी सावित होने से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी वावत प्रतिवादी सं0 1 के खातेदारी मे दर्ज आराजी खसरा नम्बर 197, 919, में से 1/2 हिस्से मे से वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज 1 सुरेश पुत्र नहनजी का नाम वादी के 1/3 हिस्से तक कलमजन किया जाता है। तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 136, 811, का 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 के हक में कराये गये रजिस्टर्ड वयनामा व प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवादनी 4 के हक में कराये गये रजिस्टर्ड दान पत्र एवं प्रतिवादनी सं0 4 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 136 मे से 1/2 हिस्से का प्रतिवादनी सं0 5–6 के हक में कराये गये रजिस्टर्ड वयनामा व इनके आधार पर दर्ज व स्वीकृत इन्तकाल प्रतिवादी सं0 1 के 1/2 हिस्सा के 1/3 हिस्से तक राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज प्रतिवादीगण का नाम वादी गण के हिस्से 1/3 हिस्से तक कलमजन किया जाता है तथा इन्तकाल संख्या 1865, 2180, 2227, वादी गण के 1/3 हिस्से तक नल एण्ड बॉयड तथा शून्य करार दिये जाते है तथा आराजी खसरा नम्बर 136, 197, 811, 919 किता 4 रकवा 3.12 हे. वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के उपरोक्त हिस्सा के अनुसार कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। रहन वय ना करें। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो हाल राजस्व रेकार्ड मे उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 15.07.2022को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/~~223~~ 54/2020

वउनवान

1. प्रकाशचन्द पुत्र सुरेश पोत्र नहनजी जाति ब्राहमण
2. अशोक पुत्र सुरेश पोत्र नहनजी जाति ब्राहमण
   निवासी सुण्डियानातहसील कठूमर जिला अलवर

वादीगण

बनाम

1. सुरेश पुत्र नहनजी जाति ब्राहमण निवासी सुण्डियाना
2. मुरारीलाल पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी भण्डोर खुर्द जिला भरतपुर।
3. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर
4. अनीता पत्नी मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी भाण्डोर खुर्द
5. कलावती पत्नी भीमसिंह जाति माली निवासी सुण्डियाना
6. कलादेवी पत्नी रतनलाल जाति माली निवासी सुण्डियाना तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रतिवादीगण

7. महेश पुत्र नहनजी जाति ब्राहम्ण निवासी सुण्डियाना तह0 कठूमर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी वावत प्रतिवादी सं0 1 के खातेदारी मे दर्ज आराजी खसरा नम्बर 197, 919, में से 1/2 हिस्से मे से वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज 1 सुरेश पुत्र नहनजी का नाम वादी के 1/3 हिस्से तक कलमजन किया जाता है। तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 136, 811, का 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 के हक में कराये गये रजिस्टर्ड वयनामा व प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवादनी 4 के हक में कराये गये रजिस्टर्ड दान पत्र एवं प्रतिवादनी सं0 4 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 136 मे से 1/2 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्रतिवादनी सं0 5–6 के हक में कराये गये रजिस्टर्ड वयनामा व इनके आधार पर दर्ज व स्वीकृत इन्तकाल प्रतिवादी सं0 1 के 1/2 हिस्सा के 1/3 हिस्से तक राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज प्रतिवादीगण का नाम वादी गण के हिस्से 1/3 हिस्से तक कलमजन किया जाता है तथा इन्तकाल संख्या 1865, 2180, 2227, वादी गण के 1/3 हिस्से तक नल एण्ड बॉयड तथा शून्य करार दिये जाते है तथा आराजी खसरा नम्बर 136, 197, 811, 919 किता 4 रकवा 3.12 हे. वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के उपरोक्त हिस्सा के अनुसार कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। रहन वय ना करें। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो हाल राजस्व रेकार्ड मे उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज करें।

आज दिनांक 15.07.2022 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)